G.C.M.S.
2021/807

फर्द अहकाम
(नियम– 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू.रा.अधि.बाबत रास्ता मु. नं. 332 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/8/2021	माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/ 2003 / पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2021/2596 दिनांक 23.07.2021 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने राजस्व ग्राम ठीकरीया पटवार मण्डल ठीकरीया तहसील नीमकाथाना में प्रचलित रास्तो का राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस, मौका पर्चा के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता ग्राम ठीकरीया के भूमि ख.न. 1161 रकबा 0.72है., ख.न. 1162 रकबा 0.07 है., ख.न. 1163 रकबा 0.07 है. ख.न. 1164 रकबा 0.49 है. उक्त खसरा नम्बरो में मौके पर रास्ता प्रचलित है आसपास की ढाणीयों में रहने वाले व्यक्तियों का आवागमन रहता है। ख.न. 1162, 1163, 1164 किस्म बजड़ में प्रचलित रास्ते पर मोहरम डाली हुई है। उक्त रास्ते बारहमासी प्रचलित है। राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते कि किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु प्रस्तावित किया गया है । प्रस्ताव के साथ ग्राम पचायत ठीकरीया का मांग पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रस्ताव सं. 02 दिनांक 08.03. 2021 की नकल व रास्ते के फोटोग्राफ पेश किये है। ख.न. 1161/1 के खातेदारो का सहमति पत्र पेश किया है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जावें। पत्रावली व प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा अभिशरित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि मे से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार ग्राम ठीकरीया पटवार हल्का ठीकरीया तहसील नीमकाथाना की भूमि ख.न. 1161/1 रकबा 0.72है. में से 0.0164 है. ख.न. 1162 रकबा 0.07 है. में से 0.0123 है., ख.न. 1163 रकबा 0.07 है. में से 0.0150 है. ख.न. 1164 रकबा 0.49 है. में से 0.0180 है. भूमि का राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक दर्ज करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार ही नक्शे में तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रहेगा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:33:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner